



2026: AHC: 29390-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **2219 वर्ष 2026**

रौनक साहूयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशीष श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.12.2025 की प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 275 वर्ष 2025, धारा 3(5), 140(3), 109(1), 117(2) बी.एन.एस., थाना हनुमंत विहार, जिला दक्षिणी कमिश्नरेट, कानपुर नगर उत्पन्न हुआ है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़िता पर लोहे की बाल्टी से हमला किया है और उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित आयुष को फ्रैक्चर (हड्डी टूटना) की चोटें आई हैं और उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 SCC 779, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' (2021) SCC Online SC 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय क्रिमिनल अपील संख्या 843 वर्ष 2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़िता पर लोहे की बाल्टी से हमला किया और उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित आयुष को फ्रैक्चर की चोटें आई हैं और उसका चिकित्सकीय परीक्षण हुआ है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को देखते हुए और पीड़ित आयुष की फ्रैक्चर चोटों को नोट करते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है, इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
7. हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"